



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5724

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45134 / 2025

सज्जादआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रकाश त्रिपाठी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश त्रिपाठी के सहायक अधिवक्ता श्री मनोज पांडेय, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 346 / 2025, धारा 103(1), 333, 115(2), 352, 351(3), 3(5) बी.एन.एस. के अधीन, थाना - चांदपुर, जिला - बिजनौर में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक प्राथमिक अभियुक्त है किंतु प्राथमिकी में ही सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और समग्र आरोप हैं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि बाद में यह कहा गया है कि आवेदक ने मृतक व्यक्ति को डंडे से उसके सिर पर मारा था। इसलिए, आवेदक भी सह-अभियुक्त व्यक्तियों इस्लाम और रेहाना के साथ समानता के आधार पर जमानत का हकदार है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक 22.6.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे में सहयोग करने के



लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है कि मृतक व्यक्ति की खोपड़ी के बाईं ओर एक कटा हुआ घाव था और उक्त चोट उसकी मृत्यु का कारण थी, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक प्राथमिक अभियुक्त है और उसने मृतक व्यक्ति को घातक चोट पहुंचाई थी, मैं आवेदक को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता।
9. जमानत आवेदन गुणहीन पाया जाता है और तदनुसार **अस्वीकार** किया जाता है।
10. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय के **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और एक अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के मामलों में हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र शीघ्रता से निर्णीत किया जाए, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

विकास वर्मा